

**न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या 34/2024 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी बनाम  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
भीलवाड़ा

1. सोहनलाल शर्मा पुत्र कालूराम शर्मा मैसर्स  
सीताराम चाट भण्डार, गंगापुर चौराहा,  
करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं  
दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

- 1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
- 2 विपक्षी स्वयं उपस्थित।

**आदेश**

दिनांक 02.08.2024

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 25.07.2011 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी सोहनलाल शर्मा पुत्र कालूराम शर्मा मैसर्स सीताराम चाट भण्डार, गंगापुर चौराहा, करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को रिफाइन्ड सोयाबीन तेल में कचौरी, समोसे आदि तलकर विक्रय कर रहा था। सोहनलाल शर्मा पुत्र कालूराम शर्मा मैसर्स सीताराम चाट भण्डार, गंगापुर चौराहा, करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर Used Cooking Oil (RUCO) लोहे की कड़ाही में कचौरी समोसे तलने के लिए रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया। न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)

भीलवाड़ा (राज.)



विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूपरूप विपक्षी पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 7,000/रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



२५  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा  
(भीलवाड़ा (राज.))

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।
2. सोहनलाल शर्मा पुत्र कालूराम शर्मा मैसर्स सीताराम चाट भण्डार, गंगापुर चौराहा, करेडा, तहसील करेडा जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाड़ा में प्रस्तुत करे।

२५  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा  
न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)  
भीलवाड़ा (राज.)